क्या मनरेगा का मात्र नाम बदलने से रुक जाएगा भ्रष्टाचार

विपक्ष का काम में भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 31 जनवरी। मनरेगा का नाम बदलने के बाद सत्ता पक्ष जहां उसका व्यापक प्रचार कर रहा है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से योजना में कोई चमत्कार हो जायेगा? क्या मनरेगा का भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जायेगा? क्या मजदूरों के स्थान मशीनों का काम बंद हो जायेगा? क्या सामग्री खरीदी में होने वाला फर्जीवाड़ा बंद हो जायेगा? क्या आवश्यकता एवं मांग के अनुसार स्थानीय श्रमिकों को काम मिल पायेगा?

इस तरह के कई सवाल हैं जिनका अभी कोई जबाब नहीं हो सकता। क्योंकि मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद उसमें या परिवर्तन दिखता है इसका इंतजार करना होगा।

पंचायतों में करोड़ो खर्च किन्तु कई कार्यो का नामोनिशान नहीं:-मनरेगा में जिस तरह से एक-एक पंचायत में करोड़ों खर्च किये गये उस तरह से गांवों में प्रगति कहीं दिखाई नहीं देती। किसी भी पंचायत में ऐसे उल्लेखनीय कार्य नहीं मिल सकते जिन्हें नमूने के रूप में दिखाया जा सके। कई कार्य तो ऐसे हैं जिनके नामोनिशन तक पंचायतों में नहीं मिलेंगे। एक समय पर बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड जैसे कार्यो के नाम पर राशि खर्च की जा रही थी। ऐसे कार्य मनरेगा के पोर्टल में भी मिल सकते हैं जिनके नाम पर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। किन्तु उन हितग्राहियों के यहां आज ऐसे कार्यो का नामोनिशान तक नहीं मिलेगा। इसी तरह से मेढ़ बंधान, खेत तालाब आदि की स्थिति देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से यदि कोई कार्य दिखता है वह कपिलधारा कूप हो सकता है। किन्तु इसमें भी कई खेल हुये हैं। जहां कई जगह पुराने कुओं का ही नवीनीकरण कर दिया गया। कई कूप तो कागजों में ही पूरे हो गये।

मस्टर में मृतको के नाम या श्रमिकों के नाम खानापूर्ति:- यह भी सही है कि मनरेगा में एक समय पर तो मस्टर में कई ऐसे श्रमिकों का नाम दर्ज कर लिया जाता था और उनके नाम पर भुगतान तक हो गया जो मृत हो चुके थे। जब इसकी पोल खुली तो जांचे हुई और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई हुई। इसी तरह से बाद में ऐसे श्रमिकों का नाम मस्टर में दर्ज किया जाने लगा जिनकी उपस्थिति मात्र मस्टर में दर्ज की जाती थी। जबकि कार्य मशीनों से करवाया जाता था। श्रमिकों के खातों में मजदूरी का भुगतान हो जाता था फिर कमीशन के आधार पर उन श्रमिकों के खातों से राशि वापस ले ली जाती थी। इस तरह का खेल बहुत अधिक हुआ। किन्तु इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिये मनरेगा में मशीनों का प्रयोग और फर्जी श्रमिकों का प्रयोग जमकर हुआ।

पौधरोपण, फ्लोद्यान से लेकर चारागाह आदि में फर्जीवाड़ा:- मनरेगा में पौधरोपण, फ्लोद्यान एवं चारागाह विकास आदि के नाम पर भी कई करोड़ खर्च हुये। पौधों की खरीदी से लेकर परिवहन एवं मजदूरी तक के कार्यो का प्राकलन तैयार तो किया जाता था। किन्तु खर्च कागजों में ही होता था। वर्षवार इस तरह के कार्यो के आकड़ों को देखा जा सकता है। मौके पर न तो पेड़ मिल सकते और न ही फलदार पौधे। जबकि अभिलेखों की जांच की जाय तो पता चलेगा कि मनरेगा से पौधरोपण के नाम पर समूचे गांव व पंचायतों में ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा, पहुचमार्ग नहीं होगा एवं कोई सरकारी या प्राईवेट जमीन नहीं होगी जहां के लिये योजना तैयार न की गई हो। इसी तरह से चारगाह विकास के नाम पर भी एक समय पर इसी तरह से खेल हो रहा था। किन्तु चारागाह की एक फोटो तक नहीं मिल सकती। इसी तरह से पौधरोपण की भी फोटो नहीं मिल सकती है। इससे समझा जा सकता है कि मनरेगा के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिला है। रोजगार गारंटी कानून में जिस तरह से प्रावधान किये गये थे उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

नाम पर चल रही है, बहस काम पर कोई बात नहीं

वर्तमान समय पर मनरेगा के नामकरण पर बहस चल रही है। किन्तु उसके काम व गुणवाा पर कोई बहस नहीं चल रही है। योजना में कमियां कहां थी, क्या थी और क्यों थी इस विषय में कोई विचार नहीं हो रहा है। कोई आडिट या विशेष आडिट नही करवाई गई। ताकि यह तो पता चले कि पांच दस वर्षो में इस योजना में जितनी राशि सरकारी खजाने से व्यय की गई उसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या जमीन मे किये गये व्यय के अनुसार कार्य दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जो राशि व्यय हुई वह किसकी जेब में चली गई। सरकारी धन के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार से कौन मालामाल हुआ? किन्तु इस विषय में कोई चर्चा ही नही हो रही है। इसलिये अब देखना होगा कि मनरेगा का नाम बदलने के बाद जिस तरह से सत्तापक्ष के लोग दावे कर रहे हैं उस तरह से हो पायेगा अथवा उससे भी बदतर स्थिति में योजना पहुचने वाली है?

बनती रही योजना और बजट का होता रहा दुरूपयोग

यह भी सही है कि प्रतिवर्ष मनरेगा की कार्ययोजना तैयार होती थी। ऊपर से योजना की थीम जिलो को भेज दी जाती थी। जिलों में वार्षिक कार्ययोजना तैयार हो जाती थी। पंचायतों को पता ही नहीं चल पाता था। फिर प्रदेश स्तर पर योजना को एकजाई कर केन्द्र सरकार से आंकड़ों के आधार पर उपलब्धियों एवं खर्च को दिखाते हुये प्रतिवर्ष नये वि वर्ष के लिये बजट प्राप्त कर लिया जाता था। इस तरह से काम चलता रहता था। आज भी देखा जा सकता है कि मनरेगा में सबसे अधिक काम पोर्टल, कंप्यूटर एवं मोबाईल में अधिक होता है। जब तो ऊपर बैठे अधिकारी प्रदेश भर के जिला अधिकारियों की बैठक लेते और उन्हें लेचर देते बैठे रहते है। इसी तरह से जिले वाले भी मोबाईल से अधीनस्थों को पाठ पढ़ाते रहते हैं। जमीन पर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। जिला स्तर एवं जनपदों से योजना की नियमित मानीटरिंग कभी नहीं होती। इससे समझा जा सकता है कि योजना का नाम चाहे जितना बदल दिया जाय जब कि उसके क्रियान्वयन की दिशा और दशा में परिवर्तन नहीं होता तब तक गावों की तस्वीर नहीं बदल सकती और जरूरतमंद श्रमिको को रोजगार नहीं मिल सकता।

प्लाट खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी व मारपीट का आरोप

नवभारत न्यूज

देवेंद्रनगर/पन्ना 31 जनवरी। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सकरिया निवासी आनंद सिंह पिता देव सिंह के साथ मैहर के चार लोगों द्वारा सतना में कम दामों में प्लाट खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं कार में बैठाकर मारपीट का मामला सामने आया है।

फरियादी आनंद सिंह के परिजनों द्वारा बताया गया कि मैहर के लोगों द्वारा सतना में कम दामों में प्लाट खरीदवाने के नाम पर 7 लाख रुपए में सौदा किया गया। पैसे देने के लिए आनंद सिंह, रोहित वासुदेव, धर्मेंद्र लाल और प्रदीप सभी ने मिलकर 7 लाख रुपए राशि इकट्ठी कर पन्ना में जाकर एक रूम में दिए। एवं सकरिया पहुंचने पर रजिस्ट्री देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने सभी को नीचे उतारकर आनंद सिंह को कार में बैठाकर देवेंद्रनगर की ओर लेकर भाग खड़े हुए। जिसकी सूचना डायल 112 व थाना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से पीछा कर रहे लोगों ने कार चालक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर एसडीओपी पन्ना ने पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी हैं। अब यह देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम में क्या निकलकर सामने आता हैं। यह पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा।

कृषक कल्याण वर्ष का करें प्रभावी क्रियान्वयन : डॉ . यादव

नवभारत न्यूज

पन्ना 31 जनवरी। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। कृषि वर्ष के आयोजन और प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में कलेक्टर ऊषा परमार, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी एवं उप संचालक कृषि ओ.पी. तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

कृषक कल्याण वर्ष के दौरान किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। किसान रथ चलाए जाएं। इनका शुभारंभ स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से ही कराएं। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में किसानों से विभिन्न स्थानों पर निरंतर संवाद करें। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करें। जलवायु, ऊर्जा एवं सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिए ई-विकास पोर्टल एवं किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए हर जरूरी प्रयास किए जाएं। कृषक कल्याण वर्ष मनाने में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के नेतृत्व में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, जल संसाधन, सहकारिता, ऊर्जा, राजस्व, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग सहित 15 से अधिक विभाग सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

जर्जर भवन में भविष्य गढ़ने को मजबूर नौनिहाल

बच्चों के सिर पर लटकी रहती है खतरे की तलवार

नवभारत न्यूज

पन्ना 31 जनवरी। जिले की पन्ना तहसील के अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र रक्सेहा की शासकीय माध्यमिक शाला बाबूपुर इन दिनों बदहाली के आंसू रो रही है। स्कूल की बिल्डिंग इस कदर जर्जर हो चुकी है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों के सिर पर हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहती है।

आलम यह है कि बारिश के दिनों में पूरी छत से पानी टपकता है, जिससे स्कूल परिसर पानी से लबालब हो जाता है। स्कूल के अंदरूनी हालात और भी बदतर हैं। कमरों का फर्श पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिससे बच्चों को बैठने में भारी असुविधा होती है। माध्यमिक शाला में वर्तमान में 32 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें इस असुरक्षित और जर्जर भवन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश होते ही कमरों में पानी भर जाता है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है।

बूंद-बूंद पानी को मोहताज बच्चे और शिक्षक

स्कूल की अव्यवस्था सिर्फभवन तक सीमित नहीं है। स्कूल परिसर में लगा एकमात्र हैंडपंप भी लंबे समय से खराब पड़ा है। इस वजह से मध्याह भोजन के बाद बर्तन धोने और प्यास बुझाने के लिए बच्चों और शिक्षकों को गांव के अंदर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा न होने से विद्यालय के संचालन में काफी परेशानी आ रही है। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कई बार विभागीय स्तर पर लिखित पत्राचार किया जा चुका है। बार-बार अवगत कराने के बावजूद शिक्षा विभाग और संबंधित प्रशासन ने अब तक भवन की मरम्मत या नए निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि किसी अनहोनी का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत कराई जाए और पेयजल की व्यवस्था सुचारू की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

प्रशासनिक एवं राजनैतिक संरक्षण में धार्मिक ट्रस्टों की सम्पत्तियां खुर्द बुर्द

नवभारत न्यूज

पन्ना 31 जनवरी। धार्मिक ट्रस्ट की चल अचल संपायों के साथ भी बड़े-बड़े खेल यहां हो चुके हैं। भले ही इसके लिये सरकारों ने समय पर नियम बनाये और संसोधन भी किये। किन्तु जांच हो तो पता चलेगा कि यहां के जिन धार्मिक ट्रस्टों के पास कई करोड़ की चल अचल संपत्तियां थी वे सब खुर्दबुर्द हो चुकी हैं।

उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं किया गया। समय-समय पर होने वाली आडिटों के माध्यम से भी संपत्तियों को गायब करने का काम किया गया।

बिक्री के लिये अनुमति लिया या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं:- जिन ट्रस्टों के पास करोडों की अचल संपायां विवरणियों में दर्ज थी वहां आज संपत्तियां भी नहीं मिल पायेंगी। उन अचल संपायों को सुनियोजित तरीके से कोडियों के भाव बिक्री कर दिया गया। यहां तक पता चल रहा है कि ऐसी संपत्तियों की बिक्री के लिये रजिस्ट्रार से अनुमति तक नहीं ली गई। अपनी निजी संपत्तियां मानकर ट्रस्ट की संपायों को बिक्री किया गया। उन संपायों की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई वह ट्रस्टों के खाते में जमा हुई या नहीं हुई अथवा कितनी जमा हुई यह भी खोज का विषय है। विशेष आडिट के अधिकार थे किन्तु नहीं हुये प्रयोग रजिस्ट्रारो को धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों की समीक्षा करने एवं गंभीर अनियमितता की स्थिति में उनकी विशेष आडिट करवाने के भी अधिकार थे। किन्तु यहां किसी भी ट्रस्ट की विशेष आडिट नहीं करवाई गई। इसलिये ट्रस्टों में अबैधानिक रूप से काबिज मुख्य ट्रस्टियों के बारिसों ने ट्रस्ट की चल अचल संपत्तियों का दुरूपयोग किया। आज भी ऐसे ट्रस्टों का नाम कागजों में भले ही जीवित हो किन्तु उनकी चल अचल संपत्तियों को लेकर सही जानकारी संकलित करने की चिन्ता नहीं हो रही है। जबकि ऐसे भी ट्रस्टों की चल अचल संपत्तियों की पहचान होनी चाहिये और यदि किसी के द्वारा उसका दुरूपयोग किया गया है, उसे क्षति पहुचाई गई है तो उसकी संपत्तियों से भरपाई होनी चाहिये। उसके खिलाफआपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिये।

नये ट्रस्टियों की नियुक्ति भी नहीं

नियम व निर्देश थे कि रजिस्ट्रार ऐसे ट्रस्टों के ट्रस्टियों की मृत्यु के बाद अथवा किन्हीं कारणों से हटाये जाने के बाद नये ट्रस्टियों की नियुक्त कर सकता था। किन्तु यहां नियुक्तियों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लिहाजा वहां कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव रहा जो अपात्र होने के बाद भी प्रमुख कर्ताधर्ता के रूप में ट्रस्ट की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में सफल रहे।

करियर मेला कार्यक्रम में नगर निरीक्षक ने किया विद्यार्थियों का मार्गदर्शन

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 31 जनवरी। अजयगढ़ तहसील अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी में आयोजित करियर मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज अजयगढ़ नगर निरीक्षक बखत सिंह ठाकुर जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को करियर से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया। अपने उद्बोधन में नगर निरीक्षक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। मिट्टी से ही चिलम भी बनती है और दीपक भीकृयह हमारे प्रयास, संस्कार और दिशा पर निर्भर करता है कि हम क्या बनते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को दीपक बनने का प्रयास करने, अर्थात समाज और देश के लिए प्रकाश फैलाने वाला नागरिक बनने की प्रेरणा दी।

नीरज राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 31 जनवरी। अजयगढ़ जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरौनी पुरवा निवासी नीरज का चयन राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है।

प्रतियोगिता के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल में सामाजिक उपयोगिता, तार्किक विश्लेषण एवं व्यावहारिक समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसे निर्णायक मंडल ने विशेष रूप से सराहा। यह सफलता यह सिद्ध करती है कि यदि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, अनुकूल वातावरण और निरंतर सहयोग मिले, तो वे भी राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकते हैं। नीरज की इस सफलता पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों एवं ग्रामवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएँ दी हैं। सभी का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और क्षेत्र में शैक्षणिक वातावरण को और अधिक सशक्त बनाएगी।

जप सदस्य के इलाज के लिए अध्यक्ष ने दी आर्थिक सहायता

नवभारत न्यूज

पवई/पन्ना 31 जनवरी। जनपद पंचायत पवई के वार्ड क्रमांक 4 के सदस्य लबरुआ चौधरी उम्र 46 वर्ष जो मुंह के कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी से पीड़ित था, जिसका लुधियाना पंजाब के डीएमसी अस्पताल में इलाज हुआ।

इलाज के लिए जनपद अध्यक्ष के द्वारा स्वयं के व्यय से उसे आर्थिक सहायता देते हुए मानवता की मिसाल पेश की। स्वस्थ होकर अध्यक्ष से जनपद पंचायत में आकर सदस्य ने उनका धन्यवाद किया।

हत्या के आरोपीगण को आजीवन कारावास

नवभारत न्यूज

पन्ना 31 जनवरी। सहा.जि.लोक अभि.अधि. ने बताया कि, दिनांक 27 नवंबर 2023 के शाम करीब 06.00 बजे जमुना प्रसाद पटेल पलका खुर्द के भटवा हार में फसल की सिंचाई व देखरेख करने के लिए गया था।

उसके साथ गांव के परमानंद उर्फ सिक्की पटेल एवं प्रेमनारायण उर्फ अंगद पटेल भी गये थे। दिनांक 28 नवंबर 2023 को फरियादी काशीराम पटेल को सुबह करीब 07.00 बजे परमानंद पटेल की मां कविता ने बताया कि उसे परमानंद ने फोन से बताया है कि फरियादी का भाई जमुना पटेल पलका हार में अपनी मडैया के पास खेत की मेड़ के नीचे गिरा है, जो बोल नहीं रहा है। सूचना मिलने पर फरियादी, मिठाईलाल एवं अंगद पाल पलका हार पहुंचे तो खेत पहुंचकर देखा कि फरियादी का भाई मृतक जमुना प्रसाद पटेल चित हालत में मेड़ के नीचे गिरा हुआ था, जिसके मुंह व नाक के पास से खून निकला हुआ था और जमुना प्रसाद की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त घटना की सूचना फरियादी द्वारा दिये जाने पर थाना गुनौर में मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच के दौरान संदेही परमानंद उर्फ सिक्की पटेल एवं अंगद उर्फ प्रेमनारायण पटेल के साथ नशे की हालत में देखा जाना बताया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय पन्ना में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक पन्ना द्वारा गुणदोषों के आधार पर बहस की गई। बहस उपरांत माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम द्वारा आरोपीगणों को प्रेमनारायण उर्फ अंगद पटेल तथा परमानंद उर्फ सिक्की पटेल दोनो निवासी ग्राम महेबा थाना अमानगंज जिला पन्ना को धारा 302 भादसं में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

बिजली की आईपीडीएस योजना में डीपीआर से लेकर क्रियान्वयन तक कमियां ?

नवभारत न्यूज

पन्ना 31 जनवरी। बिजली के क्षेत्र में एटीएण्डसी हानि को कम करने और विद्युत संसाधनो मे गुणवत्ता बढ़ाने के उद्येश्य से पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आर-एपीडीआरपी शुरू किया गया था। जिसे आगे चलकर एकीकृत विद्युत विकास योजना याने आईपीडीएस नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्येश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओ को सक्षम बनाना था।

इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये विधित परियोजना तैयार करनी थी और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जाने थे। इस परियोजना के तहत नियमित वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, स्मार्ट मीटरिंग, गैस इन्सुलेटेड सब स्टेशन, रियल टाईल डेटा एजिविशन सिस्टम, सूचना तकनीक, इन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग सहित छरू घटक निर्धारित किये गये थे। किन्तु इस योजना को सबसे पहले लागू करने में ही विलंब हुआ। वर्ष 2025 में सीएजी द्वारा प्रस्तुत आडिट प्रतिवेदन में इस योजना के क्रियान्वयन में कई तरह की कमियों को उजागर किया गया है। जो यह दर्शाता है कि विद्युतीकरण के नाम पर जमीन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं गड़बड़ियां की जाती हैं। जिसका खामियाजा उपभोता को भुगतन पड़ता है।

अन्य कई तरह की विसंगतियां:- इसी तरह से कैग की आडिट में और भी कई कमियों को उजागर किया गया है जिसके चलते स्मार्ट बिजली के नाम पर जिस तरह से प्रचार किया गया उसकी असलियत की पोल खुलती दिखाई देती है। जिन कमियों को चिन्हित किया गया है उनमें निविदा एवं कार्यादेश जारी करने में कमियां, लेखा परीक्षा ट्रेल प्रतिवदेन का अभाव, तकनीकी रूप से कमजोर फर्मो का चयन, एनआईटी में एसबीडी के सापेक्षा पात्रता मापदण्डों में परिवर्तन, अयोग्य फर्मो का चयन, पुनः निविदा आमंत्रित करने से उच्च दरों प्राप्त होने से अधिक व्यय, डीपीआर स्वीकृति में अनुचित अनुमान, मुकदमेबाजी के लगातार इतिहास वाले अयोग्य बोलीदाताओं को कार्यादेश जारी करना, अनुमोदित डीपीआर के बिना कार्यो का निष्पादन, समयवृद्धि के कारण लागत में वृद्धि होना, फीडर मीटरों का अद्यतन न होना, टर्नकी ठेकेदारों को अनुचित लाभ, अतिरित क्रय एवं गारंटी अवधि के बाद भी अप्रयुत सामग्री आदि सहित कई कमियों को उजागर किया है जो यह बताता हे कि बिजली क्षेत्र मे योजनाओं एवं परियोजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक नीचे से ऊपर तक अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। यदि ऐसे मामलों को सीएजी द्वारा चिन्हित किया जाता है तो इसका मतलब है कि यह एक बड़ा मामला है। जहां न केवल आर्थिक अनियमितता का खेल दिखता है अपितु योजनाओं की समय सीमा मे पूर्णता एवं गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

दस्तावेजों के निर्माण में कमियां

आडिट रिपोर्ट के अनुसार योजना के दिशा निर्देशों में उपभोता, उपभोग पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, एटीएण्डसी हानि, एचटी एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर, फीडर, इष्टतम लोडिंग, पावर फैटर सुधार आदि को ध्यान मे रखते हुये उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित किया जाना था। किन्तु आडिट में पाया गया किन्तु मीटरिंग उपकरण की संभावनायें, आधुनिकीकरण हेतु विशिष्ट स्थान, भूमिगत केबिलीकरण की आवश्यकता, कुल उपभोताओं के सापेक्ष मीटरिंग के कार्य का उचित विश्लेषण प्रस्ताव नहीं किया गया। दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन का कोई विवरण नहीं दिया गया। यहां तक कि चोरी की आशंका वाले क्षेत्रो की पहचान कर विवरण के साथ एरियल बेस्ड केबिल का प्रस्ताव नहीं किया गया। सब स्टेशनों के विस्तार एवं लाईनो के पुनर्निर्माण के मामले में वापस प्राप्त सामग्री का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। इसके चलते योजना के उद्येश्यों का औचित्य पूरा नहीं हो पाया।

डीपीआर तैयार करने में कमियां

पाया गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में भी कई कमियां की गई। जबकि किसी भी योजना का डीपीआर उससे संबंधित कार्यों का दस्तावेज होता है। लेखा परीक्षा ने पाया कि वितरण मे महत्वपूर्ण अंतर विचार किये बिना एवं विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण किये बिना विश्वसनीय डीपीआर तैयार नहीं किया गया था। कई महत्वपूर्ण मदों के औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। यह भी देखा गया है इस योजना में कई गैर प्राथमिकता वाले शहरों का चयन किया गया। डीपीआर योजना के उद्येश्यों के अनुरूप नहीं थे। लिहाजा करोड़ो की राशि का दुरूपयोग किया गया। डीपीआर में पारदर्शिता का भी आभव था। राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क से संबधित कार्यो का डीपीआर तैयार नहीं किया गया। जिससे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया।